अध्याय-4

चुनावी राजनीति

परिचय

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में लोगों का सीधे तौर पर शासन करना संभव नहीं है। आज के समय में लोकतंत्र का प्रचलित एवं व्यावहारिक स्वरूप लोगों (जनता) द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार होता है। इसकी शुरूआत हम इस समझ से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं और कितना उपयोगी है? चुनावों को समझने के क्रम में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा किस हद तक जनमत निर्माण में लाभ पहुंचाती है। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक चुनावों के अंतर को समझने के लिए हम उन कारक तत्वों को भी ढूँढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनके आधार पर हम कह सकें कि यह चुनाव लोकतांत्रिक है।

इस अध्याय के अगले हिस्से में भारत में हम चुनाव-प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात् चुनाव क्षेत्र के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक की प्रक्रिया। इस क्रम में हम इस सवाल पर विचार करते जायेंगे कि भारत में जो चुनाव सम्पन्न कराये जाते हैं वे कितने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं? लोगों का इन चुनावों के बारे में क्या ख्याल है? अंत में हम निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार करेंगे और चुनाव सुधार के लिए उठाये जा रहे कदमों पर भी गौर करेंगे।

४.१ चुनाव की जरूरत क्यों है?

लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। पिछले अध्याय में से हम जान चुके हैं कि दुनिया के लगभग सौ से अधिक देशों में जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव का सहारा लिया जाता है। मजेदार बात यह है कि जो देश लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं। प्रश्न है कि चुनावों की जरूरत क्यों होती है? चुनावों की छतरी के नीचे क्यों लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक देश खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं चुनाव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आइये हम पहले बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें और सोचें कि अगर सारे लोग एक साथ प्रतिदिन बैठें और मिलजुल कर फैसले करें तब बिना चुनाव के भी शासन करना संभव है? लेकिन यह एक छोटे समूह अथवा समुदाय के लिए ही संभव है। किसी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि व्यवहार में बड़े समुदाय को न तो हम एकत्रित कर पायेंगे और न ही कोई सर्वसम्मत फैसला ही ले पायेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए ही अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं।

आइये हम सोचें कि क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढ़ंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? इसके लिए हम ऐसे स्थान की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों के चुनाव का आधार उम्र तथा अनुभव है अथवा शिक्षा और ज्ञान है? इस हालत में यह पता लगाना कठिन होगा कि किसे ज्यादा अनुभव अथवा ज्ञान है। थेड़ी देर के लिए लोग मिलजुलकर इन परेशानियों को दूर कर लें, तब चुनाव की जरूरत नहीं रह जायेगी।

प्रश्न है कि क्या हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह कैसे तय करेंगे कि प्रतिनिधि, लोगों के अनुरूप ही शासन करें? साथ ही जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद नहीं हों, वे अपने पद पर बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था

करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए आज के समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना गया है।

चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार

यह तय है कि चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। यहाँ तक कि अधिकांश गैर-लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। ऐसे में कौन चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? आइए, हम लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ जरूरी न्यूनतम शर्त्तों के साथ अपनी बात की शुरूआत करें-

पहला, हर किसी को मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मान हो।

दूसरा, चुनाव में विकल्प की गुंजाइश हो। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें।

तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे।

चौथा, लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का हो।

पाँचवाँ, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढ़ंग से सम्पन्न हों ताकि लोग अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सकें।

ये शर्तें बहुत सरल लग सकती हैं। लेकिन दुनिया में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। आइये, हम उन शर्तों को अपने देश के चुनावों पर लागू करके देखें, और जाँचने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं?

चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औचित्य

चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतिस्पर्धा कई रूपों में हमें दिखाई देती है। इसका सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का हो जाता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जायेंगे। आइये, विचार करें कि यह प्रतिस्पर्धा कितने मुद्दों के आधार पर होती है और कितना व्यक्ति आधारित।

इस बात पर भी गौर करें, क्या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का होना लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। इस चुनावी प्रतिस्पर्धा के स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं। हर गाँव-घर में बँटवारे जैसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। लोग आपस में बात चीत करते हुए कहते हैं हैं कि 'पार्टी-पॉलिटिक्स' ने हमारे घरों को बाँट दिया है। विभिन्न दलों के लोग और नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के इस होड़ में सही किस्म की राजनीति बलि चढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कई अच्छे लोग जो देश एवं समाज की राजनीति में सेवा भावना से आना चाहते हैं, उन्हें घोर निराशा होती है।

हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं से भलिभांति परिचित थे। फिर उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में यह स्वतंत्र चुनावी मुकावला धीरे-धीरे बेहतर होता जायेगा। इस दिशा में कुछ सुधार भी हुए भी है। लेकिन इसे संतोष प्रद नहीं कहा जा सकता है।

ऐसे में हम इन सच्चाईयों का सामना कैसे कर सके हैं, एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान एवं चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है और दूसरा ज्यादा व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा नही करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है?

जाहिर है कि इसे आम लोग करते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा का यही वास्तविक अर्थ है। नियमित अंतराल पर चुनावी मुकाबलों का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। इस बीच उन्हें पता होता है कि अगर हमने लोगों की समस्याओं के समाधान में रूचि नहीं दिखाई तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और लोग उन्हें पराजित कर देंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है लोग सार्वजनिक समस्या की जगह निजी समस्याओं को महत्व देते हैं। नतीजा यह होता है कि इस भ्रम में वैसे राजनेता फिर से चुनाव जीत जाते हैं जो आम समस्या से अधिक व्यक्तियों को खुश रखने में विश्वास रखते हैं।

यह सच है कि आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने की इच्छा होती है और उसे दिखावे के लिए ही सही जनता की सेवा करनी ही पड़ती है। उन्हें इस होड़ में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी हितकर है।

इनमें से कौन-सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। कार्टून क्या संदेश देता है, इसे अपने शब्दों में लिखें मतदाता और उम्मीदवार के बीच के संबंधों पर चुनाव का असर बताने वाला कार्टून खुद बनाने का प्रयास करें।

४.२ भारत में चुनाव प्रणाली

यहाँ तक आते-आते हम जान चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भी नियमित चुनाव होते हैं, जिसे हमने देखा और सुना है। अब समझने वाला सवाल यह है कि क्या हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइये देखें भारत में चुनाव किस प्रकार होते हैं। अपने देश में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं। जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। अर्थात् प्रत्येक पॉच वर्षों बाद लोकसभा और विधान सभाएँ भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव

क्षेत्रों एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव होता है, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुआ होता है। इसे उपचुनाव कहते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई सरकार अल्पमत होने के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने में विफल हो जाती है, तो वैसी स्थिति मध्यावधि चुनाव होता है, तब यह मध्यावधि चुनाव आम चुनाव बन जाता है। इस अध्याय में हम आम चुनाव की चर्चा करेंगे।

निर्वाचन क्षेत्र

आरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं?

संदेश विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत है?

पता लगायें कि आपके लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं?

सन् 2005 में बिहार के लोगों ने पूरे राज्य से 243 विधायकों का चुनाव किया था। आपके यहाँ के लोग भी किसी को विधायक बनाए होंगे। क्या बिहार के हर व्यक्ति ने सभी 243 विधायकों को चुनने के लिए वोट दिया होगा? शायद आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। ऐसा संभव भी प्रतीत नहीं होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के हिसाब से कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें **निर्वाचन क्षेत्र** कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जिस प्रकार बिहार को विधायक चुनने के लिए 243 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। लोकसभा क्षेत्र से चुने गये प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की यह विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है। अर्थात् भारत के राष्ट्रपति और एक साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य एक होता है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को आधार बनाया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी निर्धारित विधानसभा के सीटों के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन सीटों से चुने गये प्रतिनिधियों को विधायक अथवा एम.एल.ए. कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों से काफी बड़े होते हैं। हम यह भी यह सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में कई विधान सभा क्षेत्र होते हैं।

पंचायतों नगरनिगमों और नगरपालिकाओं के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इन्हें भी छोटे-दोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। नाम में समानता से भ्रम नहीं पैदा हो इसलिए इन्हें 'वार्ड' कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है जिन्हें वार्ड पार्षद कहते हैं। आम बोल चाल की भाषा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 'सीट' कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र किसी खास सीट का प्रतिनिधित्व करता है।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस बात से चिंतित थे कि इस खुले मुकाबले में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर समूहों के लिए लोकसभा एवं विधान सभाओं में शायद नहीं पहुंच पायें। ऐसा इसलिए कि उनके पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा एवं संपर्क नहीं हों। यह भी संभव है कि संसाधन सम्पन्न एवं प्रभाशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद एवं विधानसभाओं में एक बड़ी आबादी की आवाज पहुंच नहीं पायेगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का स्वरूप कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी।

इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था करने की बात सोची। इसीलिए लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जन जातियों के लिए। ऐसा होने का मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। अभी लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार विधानसभा की 37 सीटें अनुसूचित जातियों के आरक्षित हैं झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में अनुसूचित जातियों की आबादी नहीं रहने के कारण अब कोई भी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है।

कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था अनेक राज्यों में अब पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं नगरनिगमों पर भी लागू हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को कमजोर समूह का हिस्सा मानते हुए उनके लिए आधी सीटें आरक्षित कर दिया है। इन आधी सीटों में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर सिर्फ महिलाएँ चुनाव लड़ सकती है। इनमें सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए उसी समूह की महिलाएँ चुनाव में उम्मीदवार हो सकती है।

> क्या बिहार की तरह अन्य राज्य भी महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित कर सकते हैं?
>
> क्या लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित नहीं हो सकती है?

मतदाता सूची

निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण के बाद यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और इसे सर्वसुलभ बना दिया जाता है। इस सूची को आधारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। प्रचलित की भाषा में इसे 'वोटर लिस्ट' भी कहते हैं। मतदाता सूची का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना चुनाव संभव नहीं है। पिछले अध्याय में हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में जाना है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर किसी को मत देने का अधिकार है और हर किसी के मत का मान बराबर है। जब तक कोई ठोस कारण नहीं हो किसी को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भारतवर्ष में 18 वर्ष और उससे उपर उम्र के सभी नागरिकों को वयस्क माना जाता है। वयस्क होने के नाते उन्हें मत देने का अधिकार हैं। वयस्क मताधि कार के लिए नागरिकों की जाति धर्म, सम्प्रदाय, अमीर, गरीब और शिक्षा ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ 18 वर्ष और उससे उपर की उम्र को देखा जाता है।

लेकिन, संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि ठोस प्रमाण के आधार पर अपराधियों एवं दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर साल नये लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, कुछ लोग इलाका छोड़ देते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में सुधार का काम सरकार द्वारा कराया जाता है। हर पाँच वर्ष में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था लागू की गई। सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र के कार्ड के उपलब्ध कराने का काम जारी है। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को मताधिकार से वंचित नहीं कर दे और सही व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें वोट देने के समय अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। अब तो मतदाता सूची में भी मतदाता के फोटो को अंकित करने का काम जारी है। लेकिन, यह सच है कि अभी सभी मतदाताओं को उन्हें फोटो पहचान पत्र नहीं मिल पाया है, अतः वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान के तौर पर 14 अन्य पहचानों को भी वैध माना है। जैसे मतदाता का राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।

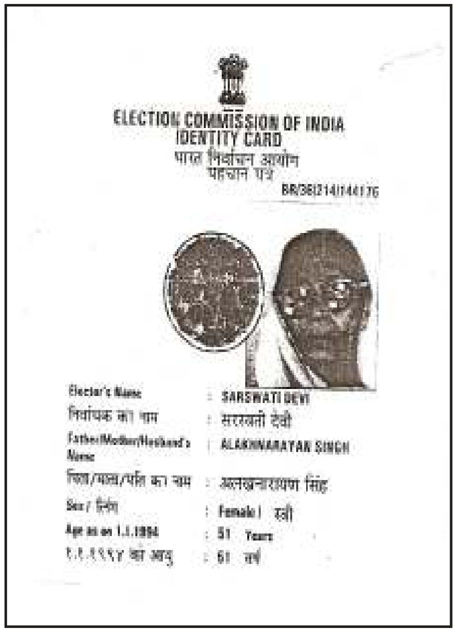

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
BR/36/214/144176

Elector's Name : SARSWATI DEVI
निर्वाचक का नाम : सरस्वती देवी
Father/Mother/Husband's Name : ALAKHNARAYAN SINGH
पिता/माता/पति का नाम : अलखनारायण सिंह
Sex / लिंग : Female / स्त्री
Age as on 1.1.1994 : 51 Years
१.१.१९९४ को आयु : 51 वर्ष

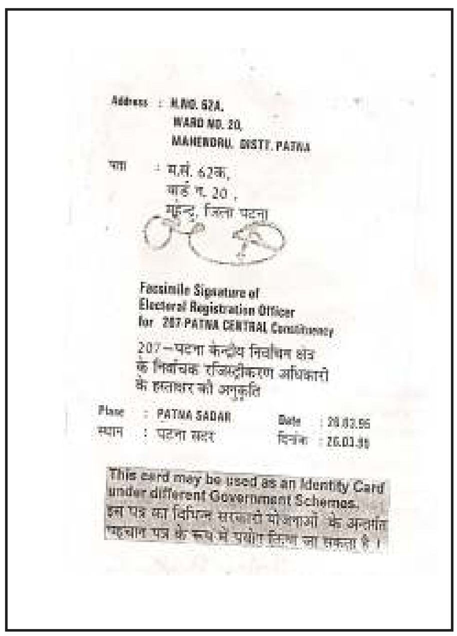

Address : H.NO. 62A,
WARD NO. 20,
MAHENDRU, DISTT. PATNA
पता : म.सं. 62क,
वार्ड न. 20,
महेन्द्रू, जिला पटना

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 207 PATNA CENTRAL Constituency
207—पटना केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

Place : PATNA SADAR   Date : 20.03.95
स्थान : पटना सदर   दिनांक : 20.03.95

This card may be used as an Identity Card under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

फोटो पहचान पत्र का नमूना

निर्वाचक सूची का पहला पन्ना

निर्वाचक सूची 2004, (SO4) बिहार

fo/ku lHkk {ks=k % l[;k lañsk Hkkx l[;k&40
uke o vkj{k.k fLFkfr %

1- iqujh{k.k dk fooj.k
iqujh{k.k dk o"kZ%2004 iqujh{k.k dk Lo:i %l{kIr iqujh{k.k
vgZrk dh frfFk%01-01-2004 fuokpZd ukekoyh ykxw gksus dh frfFk %28-02-2004

2- Hkkx o ernku {ks=k fooj.k

ernku {ks=k dk foLrkj %
,d Hkkx

ernku {ks=k dk oxhZdj.k%
xzkeh.k

bl ernku {ks=k ds lgk;d
(vkWDlh fy;jh) ernku
dsUnzksa dh l[;k%

eq[; xzke@'kgj dk uke %,d Hkkx
Mkd ?kj %,d Hkkx
Fkkuk %mnoarauxj
jktLo gYdk%
iapk;r %,d Hkkx
vapy %mnoarauxj
vuqeaMy %vkjkInj
ftyk%Hkkstiqj

jkT; dk dksM o uke&SO4 fcgkj 12&lañsk

Hkkx l[;k40							
Øe l[;k	edku@ÝySV l[;k	ernkrk dk uke	lEca/k	lEca/kh dk uke	fyax	vk;q	igpku i=k l[;k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
iHkkx %,d Hkkx							
1	1	Jherhuhye nsoh	i	jkt dekj >k	iq	48	
2	2	lathoo dekj >k	fi	jkt dekj >k	e	26	
3	2	xhuk>k	i	lathoo dekj >k	iq	22	
4	2	firzwBkdqj	i	iadt Bkdqj	e	22	
5	3	mTToy	fi	lathoo dekj >k	iq	19	BCS1360320
6	4	fofiu cBk	fi	ekfgr cBk	iq	32	BCS1360340
7	4	jtalr jke	fi	l/ohj jke	iq	35	
8	4	eqUuq'kekZ	fi	vjfoUn'kekZ	iq	33	
9	4	jkfx.kh'kekZ	i	eqUuq'kekZ	e	28	
10	4	fizkoekZ	i	lathoo dekj	e	22	

उम्मीदवारों का नामांकन

यहाँ तक आते–आते हमने अनुभव किया कि लोकतांत्रिक चुनावों मतदाताओं को विकल्प चुनने की सुविधा होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब चुनाव में किसी प्रकार की रोक नहीं हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब यह कि कोई भी मतदाता उम्मीदवार हो सकता है। मतदाता से उम्मीदवार बनने में सिर्फ उम्र सीमा का फर्क है। जहाँ मतदाता होने के लिए 18 वर्ष वहीं उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्ता होनी चाहिए। हालाँकि अपराधियों को उम्मीदवार होने पर सीमित पाबंदी है। सीमित पाबंदी इसलिए है कि अपराधी न्यायालय के अंतिम फैसले के इंतजार के चलते बच जाते हैं

चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हैं और अपना चिन्ह एवं समर्थन देते हैं। राजनीतिक दल द्वारा मनोनयन को बोलचाल की भाषा में 'टिकट' कहते हैं।

चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को 'नामांकन पत्र' भरना पड़ता है इसके साथ जमानत के रूप में कुछ रकम जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्येक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ व्योरे देते हुए घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं–

- उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले
- उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की सम्पति और सभी देनदारियों का ब्यौरा
- उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता से जुड़े सवाल

- जब देश के सभी व्यवसायों/नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है तो विधायकों, संसद सदस्यों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं है?
- देश में यदि इनके लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो जायेगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अधिसंख्य लोग अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जायेंगे वंचित, ऐसा इसलिए, लगभग आधी आबादी निरक्षर है।

चुनाव अभियान

चुनाव का प्रमुख उद्‌देश्य यह होता है कि लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। सरकार बनाने में सहभागी बन सकें। इसके लिए जरूरी है कि लोग जाने कि कौन प्रतिनिधि बेहतर है, देखती है कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या किसकी नीति कल्याण करती है।

चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल एवं मतदाता स्वतंत्र एवं खुली चर्चा में शामिल होते हैं।

अपने देश में चुनाव प्रचार के लिए आमतौर पर दो सप्ताह का समय दिया जाता है। यह समय चुनाव अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची और मतदान के तिथि के बीच का होता है। इस अंतराल में उम्मीदवार लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हैं, छोटी-बड़ी सभाएँ करते हैं, अखबारों एवं टी.वी. चैनलों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते है।

चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दल किसी–न–किसी मोहक नारे द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। 1977 में जनता पार्टी ने देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा दिया था। प0 बंगाल में विधान सभा चुनाव में 'जमीन जोतने वाले के हक का' का नारा दिया गया था। 1983 में आंध्रप्रदेश में 'तेलगू स्वाभिमान' का और 2000 में 'झारखंड बनाओ' नारा दिया गया था।

लोकतंत्र में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिलना भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव कानूनों में कतिपय कठोर प्रावधान निर्धारित हैं। कोई उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकतीं–

- मतदाताओं को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना
- चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना।
- लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रूपये से ज्यादा खर्च करना।

अगर कोई उम्मीदवार इनमें से किसी मामले में दोषी पाए जायेंगे तो उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है इन कानूनों के अतिरिक्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में 'आदर्श–आचार संहिता' को भी स्वीकार करना होता है जिसमें उल्लिखित चुनाव है–

- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म अथवा धर्मस्थल का उपयोग नहीं करना
- सरकारी वाहन, विमान अथवा सरकारी कर्मियों का चुनाव में उपभोग नहीं करना

- चुनाव की अधिसूचना के बाद सरकार के द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास अथवा कोई नीतिगत फैसला अथवा लोगों को सुविधाएँ देने वाले वायदे नहीं किये जा सकते हैं।

मतदान और मतगणना

चुनाव अभियान के आखिरी चरण में मतदान होता है। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अपना मतदान करते हैं। मतदान की तिथि के साथ मतदान केन्द्र भी सुनिश्चित रहता है। इसके लिए समय सीमा भी पूर्व में घोषित कर दी जाती है। मतदान केन्द्र के लिए किसी सरकारी अथवा किसी सार्वजनिक स्थल व भवन का चुनाव किया जाता है। मतदान केन्द्र पर चुनाव को सम्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा एक पीठासीन पदाधिकारी और अन्य मतदान पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। अब मतदाता मतदान केन्द्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचानकर उसकी अंगुली पर एक अमिट स्याही लगा देता है ताकि वह दुबारा न आ सके। मतदाताओं की पहचान के लिए विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से एजेंट भी होते हैं।

मतदाताओं को मत देने के लिए एक मत-पत्र दिया जाता है जिसपर सभी उम्मीदवारों के नाम के साथ चुनाव चिन्ह भी अंकित रहता हैं जिस पर वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मोहर लगाते हैं। अब मतदान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने रहते हैं मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होते है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एकबार दबा भर देना होता है।

मतदान की समाप्ति के पश्चात सभी बैलेट बॉक्सों अथवा वोटिंग मशाीनों को सीलबंद कर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। फिर एक निश्चित एवं घोषित तारीख को मतों की गिनती की जाती

है। वहाँ सभी दलों के एजेन्ट रहते हैं ताकि मतगणना की निष्पक्षता बरकरार रहे। सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ ही मतगणना का कार्य होता हैं अतः अखबारों एवं टी.वी. चैनलों के माध्यम से तमाम चुनाव परिणाम तत्काल उपलब्ध हो जाता है।

४.३ भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिक?

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अखबारों एवं टी.वी. चैनलों से खबरें मिलती हैं कि इसबार अमुक-क्षेत्र या पूरे चुनाव में व्यापक धांधलियां हुई। कुछ गड़बड़ियों को मीडिया खुद हासिल करती है तो कुछ के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराये जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है-

- मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और वास्तविक नामों को गायब करने का मामला।
- सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरूपयोग की।
- मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना
- मतदान पूर्व की रात में मतदाताओं के बीच जाति व धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाना ओर उनके बीच नाजायज धन वितरित करना।

इन खबरों में कुछ हद तक सच्चाई भी है। यह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वन्दिता का मामला नहीं है। अक्सर सुना जाता है कि इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखना काफी मुश्किल हैं। तो क्या हमें कहना चाहिए कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है? इस सवाल के उत्तर में हमें विचार करना चाहिए कि क्या कोई पार्टी बिना व्यापक जनसमर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? हमें इस सवाल पर भी विचार करना चाहिए चुनाव धांधलियों में लोगों की कितनी तटस्थ भूमिका होती है और

कितनी सहभागिता? इस सवाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करना जरूरी है।

स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान ने चुनावों की निष्पक्षता की जांच के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया है। जिसे 'भारत निर्वाचन आयोग' कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि निर्वाचन आयोग का संचालन कौन करता है क्या इसके संचालक सरकार से अलग अस्तित्व रखते हैं या फिर सरकार या सत्ताधारी दल का इसपर कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दबाव नहीं होता? क्या उनके पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं?

हमारे देश के लिए इन सवालों के जबाब काफी हद तक संतोषप्रद और सकारात्मक हैं। यहाँ चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आजादी प्राप्त है। इसके मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद पुनः चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति अथवा सरकारी के प्रति जवाबदेह नहीं होता साथ ही इन्हें कार्यकाल के पहले कोई सरकार हटा नहीं सकती है।

दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त हैं। आइये, इसके अधिकारों पर गौर करें–

चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक, यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है।

साथ ही, निर्वाचन आयोग एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, सरकार एवं उम्मीदवारों एवं पूरी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत उल्लिखित रहते हैं जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों को मानना सरकार की बाध्यता होती है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकना या अधिकारियों के तबादला करना भी शामिल है।

चुनाव में तैनात सभी अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं।

पिछले दशक से चुनाव आयोग की हस्तक्षेपकारी भूमिका से लोगों में विश्वास जगा है। बिहार में सन् 2005 के आम चुनावों में चुनाव आयोग काफी सक्रिय था। चुनाव आयोग द्वारा यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव अधि कारी किसी मतदान केन्द्र पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढ़ंग से नहीं होने के पुख्ता प्रमााण देते हैं तो वहाँ पुनर्मतदान होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'री पोलिंग' कहते हैं।

इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव सुधारों के काम में लगा हुआ है और लोगों की कठिनाईयों एवं चुनावी धांधलियों पर नियंत्रण रखने के नये-नये उपाय कर रहा है। अब फोटो पहचान पत्र के अलावे मतदाता सूची में भी मतदाताओं के फोटो रहेंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं फोटो पहचान पत्र बनाने का कार्य अनवरत चलता रहता है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नहीं होता तो निश्चय ही चुनाव लोकतांत्रिक ढ़ंग से नही हो पाते ।

निर्वाचन आयोग बिहार विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी की

- चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य
- चुनाव आयोग ने सरकार के मंत्री को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी करार दिया।
- निर्वाचन आयोग ने चुनाव में चुनाव खर्च पर नकेल कसी
- राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर अथवा रोक अधिकार हो: चुनाव आयोग
- चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर
- माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने को कहा
- चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐन मौके पर जिले के कलेक्टर, एस.पी. को बदला

इन सुर्खियों पर गौर करें और पता करें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग किन-किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा?

चुनाव में लोगों की भागीदारी

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को जाँचने का एक तरीका यह भी है कि हम बात पर गौर करें कि लोग इस महत्वपूर्ण कार्य में कितने उत्साह से उसमें भागीदारी करते हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी तो निश्चित तौर पर लोगों की भागीदारी होगी।

चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना अक्सर मतदान करने वालों के आंकड़ों को बनाया जाता है। यह पैमाना वास्तविकता की दृष्टि से सही है। इससे इस बात का अंदाजा तो मिल ही जाता कि मतदान की योग्यता रखनेवाले कितने मतदाताओं ने वास्तव में मतदान किया। यह सच है कि पिछले 50 वर्षों में जहाँ यूरोप, उत्तरी अमरीका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, वहीं भारत में यह या तो स्थिर रहा है अथवा उपर गया है।

ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि भारत में अमीर एवं बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोगों ने अधिक संख्या में मतदान करते हैं। अमरीका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग अमीर एवं श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं।

यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या भारत में गरीब, निरक्षर एवं कमजोर लोग सही मायने में मतदान में अभिरूचि दिखाते हैं और मतदान करते हैं? क्या यह अभिरूचि उनकी शासन में भागीदार बनने की है? क्या अमीर एवं बड़े लोगों में शासन में भागीदारी की स्वाभाविक अनिच्छा होती है?

हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के पश्चात् ही लोगों की भागीदारी का मूल्यांकन करना चाहिए।

आइये, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 के निष्कर्षों को देखें जिसमें लोगों से पूछा गया है कि आपके वोट से कितना फर्क पड़ता है?

चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग लेने वालों के प्रतिशत को देखें तो उसके प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है।

चुनावी नतीजों को स्वीकार करने की बाध्यता

चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे है। अगर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होंगे तो नतीजे हमेशा ताकतवर जमात के

पक्ष में होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अक्सर सत्ता में रही सरकार हारती भी है। निवर्तमान सांसद एवं विधायक चुनाव हारते भी हैं। वोट को खरीदने में सक्षम प्रत्याशी हों अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी उनका चुनाव हारना बहुत आम है।

निष्कर्षतः चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना हर किसी की संवैधानिक बाध्यता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव संवैधानिक दृष्टि से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होता है कि जो पार्टी चुनाव जीत कर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि कुछ उम्मीदवार गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, लेकिन चुनाव का कुल नतीजा लोगों की इच्छा को ही प्रतिबिंबित करता है।

यहाँ तक आते-आते हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा होते हैं जो चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं-

- क्या मतदाताओं के पास सही एवं स्वस्थ विकल्प होता है, जिसके आधार पर वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें?
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों से टिकट पाने में सक्षम हो जाते हैं?
- अलग-अलग पार्टियों में कुछेक में परिवारवाद हावी रहता है और वे टिकट पाने में समर्थ हो जाते हैं?

■ बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। उसके अतिरिक्त भी चुनौतियाँ हो सकती है।

जाहिर सी बात है कि सिर्फ निर्वाचन आयोग के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। लोगों की जागरूकता और समझदारी भी जरूरी है। आम नागरिकों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों को भी इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह सच है कि ऐसी चुनौतियाँ सिर्फ भारत की नहीं है। दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में कमोवेश ऐसी स्थितियाँ बरकरार है।

क्या आपके पास चुनाव सुधार के कोई ठोस सुझाव है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है?

शब्दावली

भारत निर्वाचन आयोग—भारत में संसद और विधानमंडल के चुनाव कराने वाली एक स्वतंत्र इकाई, जिसे भारत के संविधान द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

निर्वाचन क्षेत्र—एक खास भौगोलिक क्षेत्र जहाँ से मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता—चुनाव की अधिसूचना के पश्चात् पार्टियाँ और उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य रूप से माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश।

चुनाव चिन्ह—मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई निर्दिष्ट चुनाव चिन्ह नहीं होता वरन् विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित चिन्ह को चुनाव चिन्ह कहते हैं।

प्रश्नावली :

1. चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन-सा वाक्य सही नहीं है?
   (क) लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।
   (ख) चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है।
   (ग) चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है।
   (घ) चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है।
2. भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपर्युक्त कारण नहीं देता?
   (क) भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं?
   (ख) भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है
   (ग) भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है।
   (घ) भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियाँ जनादेश को स्वीकार कर लेती है।
3. निम्नलिखित में मेल ढूँढें।

(क) सार्वभौम वयस्क मताधिकार	(1) हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता
(ख) कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व	(2) 18 वर्ष और उसस ेऊपर के सभी मताधिकार
(ग) खुली राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता	(3) सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी
(घ) एक मत, एक मोल	(4) अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण

4. इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इसे चुनाव में पहले से लेकर आखिर तक के क्रम में सजायें।

वोटों की गिनती, मतदाता सूची का निर्माण, चुनाव परिणाम, नामांकन-पत्र दाखिल करना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान

5. चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं?

(क) फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही मतदान हो।

(ख) चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरूपयोग पर रोक लगाना।

(ग) चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए।

(घ) चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ-साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे।

6. इस अध्याय से प्राप्त जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए।

(क) सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान होता है।

(ख) चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हों इसके लिए जनता की भागीदार होनी चाहिए।

(ग) चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है।

(घ) हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबर्दस्त भागीदारी होती है।

7. श्यामलाल को एक आपाराधिक मामले में आजीवन कारावास की

सजा मिलती है। मोहनलाल को अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के जुर्म में दोषी पाया है। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नही दिया है। क्या फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

8. वीरा सिंह एवं सैफुद्दीन ऐसे उम्मीदवार हैं, जो आपराधिक मामले में अदालत के आदेश से जेल में बंद है। न्यायालय के अंतिम फैसले के नहीं आने से उसकी उम्मीदवारी को चुनाव आयोग को वैध मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए–

(क) उसे चुनाव में विजयी बनाकर दोष मुक्त कर देना चाहिए?

(ख) उसकी अपराधिक छवि होने के कारण लोगों को मत नहीं देना चाहिए?

(ग) चुनाव के समय उसे लोगों से मिलने देना चाहिए?

(घ) (1) अगर हाँ तो क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है?

(2) अगर नहीं तो उसे क्यों सदन की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाता है

(3) अगर यह भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती है तो इस संबंध में आपकी राय क्या है?